कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/14/2024

श्री मोहनसिंह पुत्र हरवीर सिंह गांव व पोस्ट सुन्दरावली तहसील नगर जिला डीग मो.न.9928660125

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी, कलेक्ट्रेट भरतपुर

......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 18.04.2024**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री मोहन सिंह पुत्र हरवीर सिंह गांव व पोस्ट सुन्दरावली तहसील नगर जिला डीग की यह अपील लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्ट्रेट भरतपुर के विरुद्ध इस आशय की प्राप्त हुई कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, लोक सूचना अधिकारी से अपीलान्ट को चाही गई सूचना उपलब्ध कराने/ नहीं कराये जाने बाबत कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/24/203 दिनांक 01.04.2024 से रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर का जबाब पत्रांक सू. का.अ./निर्वा./2024/4506 दिनांक 17.4.2024 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर आया कि उनके द्वारा सूचना के सम्बन्ध में जरिये पत्रांक/1951 दिनांक 14.3.2024 से प्रार्थी/अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपीलान्ट ने अपील में कथन किया है कि उसने कोई प्रश्नवाचक सूचना नहीं मांगी है, केवल अखबार की फोटो प्रति के आधार पर दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी। चाही गई सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

.................2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 14 / 2024
मोहनसिंह बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी

अपीलान्ट प्रार्थी का सूचना के अधिकार के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.3.24 का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने निम्न दो बिन्दुओं पर सूचना चाही है :—

1— संलग्न अखबार को देख कर पंचायत समिति नगर के वर्तमान सरपंचों की सूचना प्रमाणित प्रति व अखबार में छपे फर्जी सरपंचों की अलग से तैयार कर सूची उपलब्ध करावें।
2— फर्जी सरपंच पंचायत समिति सदस्य व जिला पार्षदों से सम्बन्धित निर्वाचन विभाग द्वारा दिशा निर्देश व कानून एक्टों की फोटो प्रमाणित कॉपी ।

अपीलान्ट द्वारा चाही गई उक्त बिन्दुओं की सूचना के बाबत दोनों सूचनायें अखबार के आधार पर चाही गई है, जब कि सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना से सम्बन्धित परिभाषा में स्पष्ट है जो इस प्रकार है :—

सूचना का अधिकार अधिनियम में 2005 में परिभाषित है :—

"सूचना" से किसी भी रुप में कोई भी सामग्री अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई—मेल,राय, सलाह, प्रेस सूचना, परिपत्र, आदेश, लोगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी इलैक्ट्रोनिक रुप में रखी गयी डाटा सामग्री और ऐसे किसी भी प्राइवेट निकाय से संबंधित सूचना जिस पर तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन लोक प्राधिकारी की पहुंच हो,............।"

इस से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है उसमें लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई पत्रावली या आदेश दिनांक का जिक्र नहीं किया गया है जिससे यह मालूम हो सके कि आप द्वारा चाही सूचना लोक सूचना अधिकारी के पास सृजित है या नहीं, आप को सूचना से सम्बन्धित पत्रावली, आदेश, दिनांक आदि का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सूचना अधिकारी ने इसके अभाव में अपीलान्ट को कार्यालय में उपस्थित होकर चाही गई सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन कर चिन्हित करने को लिखा गया है परन्तु अपीलान्ट ने लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना से सम्बन्धित उपलब्धता के बाबत रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया गया है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

................3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 14 / 2024

मोहनसिंह बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी

अतः प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर